फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

श्री मोहनलाल पिता कजोड़ बनाम श्रीमती रुकमा पत्नि रामलाल जाट

धारा 111-128 वाद / प्रा0प0 / अपील प्र0सं0 18 / 18

12/18 बाद जॉच वाद / प्रा0प0 / अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणो / अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 28/3/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

28.3.18

पत्रावली पेश उभयपक्ष
उपस्थित, पीठासीन अधिकार जी
अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली
दिनांक 29.5.18 को पेश हो।
रा
आदेश से रीडर

29.5.18

पत्रावली लोक अदालत बैंच पर पेश। फैसला अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला–भीलवाडा

कैम्प कोर्ट स्वैराबाद

पीठसीन अधिकारीः–रामावतार मीणा (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्याः– 18/18

1. श्री रूपलाल पिता धन्नालाल गाडरी नि. स्वैराबाद

2. श्री नन्दलाल पिता मांगीलाल गाडरी —"—

––प्रार्थीगण

बनाम

1.– श्रीमती रुक्मा देवी पत्नी रामलाल जाट गांधीलाखेडा

2.– " राधा देवी पत्नी लादूलाल जाट कोरडा

3.– " लेहरी देवी पत्नी भंवरलाल जाट —"—

4 " केली देवी पत्नी नन्दलाल गाडरी स्वैराबाद

5 श्री रुघनाथ पिता धन्नालाल गाडरी —"—

6 तहसीलदार हमीरगढ

––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

:: निर्णय :: दिनांकः– 29.5.18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम स्वैराबाद पटवार हल्का स्वैराबाद तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 461/2, 462/2 कुल किता 02 रकबा 11 बीघा 00 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थता पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.2.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंध्दान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम स्वैराबाद पटवार ह0 स्वैराबाद तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 461/2, 462/2 कुल किता 2 रकबा 11 बीघा 0 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक स्वैराबाद को 1100/–रू0 (अक्षरे– एक हजार एक सौ रुपया मात्र)

.................................)

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

प्रतिलिपिः– तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ